जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/bkh/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 17 फरवरी 2021

भाग-1

बांगड़ अस्पताल प्रशासन की दादागिरी!!

भीषण अग्निकांड से भी सबक नहीं ले रहा बांगड़ अस्पताल और भीलवाड़ा जिला प्रशासन!!

बिल्डिंग के सभी तलों के गलियारों पर किये अतिक्रमण!!!

आपदा के समय जान बचाने के सभी रास्ते बंद!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भीलवाड़ा: बांगड़ हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर लगी आग, दूसरे अस्पताल शिफ्ट किए गए मरीज

भीलवाड़ा. राजस्थान (Rajasthan) के भीलवाड़ा (Bhilwara) के बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर अचानक धुआं उठने से वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई. इन मरीजों में सहाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के भाई भी शामिल थे, जिन्होंने अपने भाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना दी और इस सूचना से पुलिस तुरंत हरकत में आई. इसके बाद सुभाष नगर थाना अधिकारी पुष्पा कासोटिया तुरंत अस्पताल पहुंची और धुआं भरे माहौल में तीसरी मंजिल पर पहुंचकर सारे कांच तोड़ दिए, जिससे मरीजों को दम घुटने से अनहोनी से बचाया जा सका.

अस्पताल की तीसरी मंजिल पर यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी और कुछ ही मिनटों में धुएं ने पूरे अस्पताल को घेर लिया था. आनन-फानन में इस अस्पताल के आईसीयू और अन्य वार्डों में भर्ती 35 गंभीर मरीजों को तुरंत बाहर निकाल कर शहर के अन्य दो निजी अस्पताल कृष्णा और राम स्नेह हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. नगर परिषद की तीन दमकल और अन्य उद्योग समूह की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

घटना स्थल पर पहुंचे आला अधिकारी

आग की सूचना मिलते ही एसपी प्रीति चंद्रा और सीओ सिटी भंवर रणबीर सिंह तुरंत अस्पताल पहुंचे थे. जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने कहा कि अस्पताल में बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया धुएं के कारण मरीजों को अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है. बांगड़ अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने कहा कि सुबह फायर अलार्म बजने पर हमने सर्वप्रथम सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल कर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया है, जिनमें से 7 मरीज तो वेंटिलेटर पर थे.

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भीलवाडा को वुहान सिटी में तब्दील करने से सुर्ख़ियों में आया था बांगड़ हॉस्पिटल

आपको याद होगा कि जब देश में कोरोना की रफ़्तार बढ़ रही थी उसी समय भीलवाडा के बांगड़ अस्पताल में कोरोना विस्फोट के चलते भीलवाडा शहर की वुहान सिटी से तुलना की जाने लगी थी|उस समय भी बांगड़ अस्पताल को कोरोना महामारी में लापरवाही के चलते अघोषित रूप से बंद कर दिया गया था|अपने राजनैतिक रसुखातों के चलते पूरे विश्व में बदनाम होने के बावजूद इस अस्पताल के विरुद्ध राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और लगभग 6 महीने बंद रहने के बाद सितम्बर 2020 को इसे पुनः खोल दिया गया|

सितम्बर 2020 को लगी थी इस अस्पताल में भीषण आग

गत वर्ष सितम्बर माह में शहर के बृजेश बांगड़ अस्पताल भीषण आग लग गयी जिससे अस्पताल के थर्ड फ्लोर पर धुंआ फैल गया। परिजन मरीजों को लेकर अस्पताल से बाहर की ओर दौड़े। फायर ब्रिगेड की तीन निजी और दो निगम की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इसके बाद करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका।घटना के समय अस्पताल में 33 मरीज भर्ती थे, जिन्हें रेस्क्यू कर दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इस दौरान धुंआ आईसीयू और कई वार्डों में पहुंच गया था। एहतियातन अस्पताल की सभी लाइटें बंद कर दी गईं। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने एक घंटे में आक पर काबू पाया।अस्पताल में भर्ती 33 मरीजों में से 30 को पास के ही कृष्णा अस्पताल में भर्ती करवाया गया| बाकी को भी दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाया गया|

अस्पताल में मरीजों की स्ट्रेक्चर को 2,3,4 फ्लोर पर ले जाने के लिए केवल लिफ्ट ही उपाय,रैम्प की व्यवस्था ही नहीं,ICU और ओपरेशन कक्ष पहले और दुसरे माले पर

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांगड़ अस्पताल में ऊपर के तलों(2,3,4 फ्लोर) पर आने-जाने के लिए केवल सीढियां और लिफ्ट ही उपाय है ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को कैसे आपदाओं/अग्निकांडो के समय 2,3,4 फ्लोर से नीचे लाया जायेगा क्यूंकि लाईटें बंद होने से लिफ्ट काम नहीं करती और स्ट्रेक्चर के लिए स्लोप की व्यवस्था है ही नहीं|यही हालात इस अस्पताल में हुए अग्निकांड में उत्पन्न हो गए थे,जब आग लगने पर ओपरेशन और ICU में भर्ती गंभीर मरीजों को जैसे-तैसे बाहर निकाला गया था|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कैसे दी गयी इस अस्पताल को फायर NOC?जबकि अस्पताल के सारे तलों के गलियारे बंद,फायर एग्जिट के प्लान बेमानी|

स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस अस्पताल के सारे तलों के गलियारे अतिक्रमणों के कारण बंद कर दिए गए है ऐसे में इस अस्पताल में टंगे फायर एग्जिट प्लान के भरोसे आपदा में निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते है|सवाल यह उठता है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस अस्पताल को फायर NOC कैसे दी गयी?दी भी गयी या नहीं?

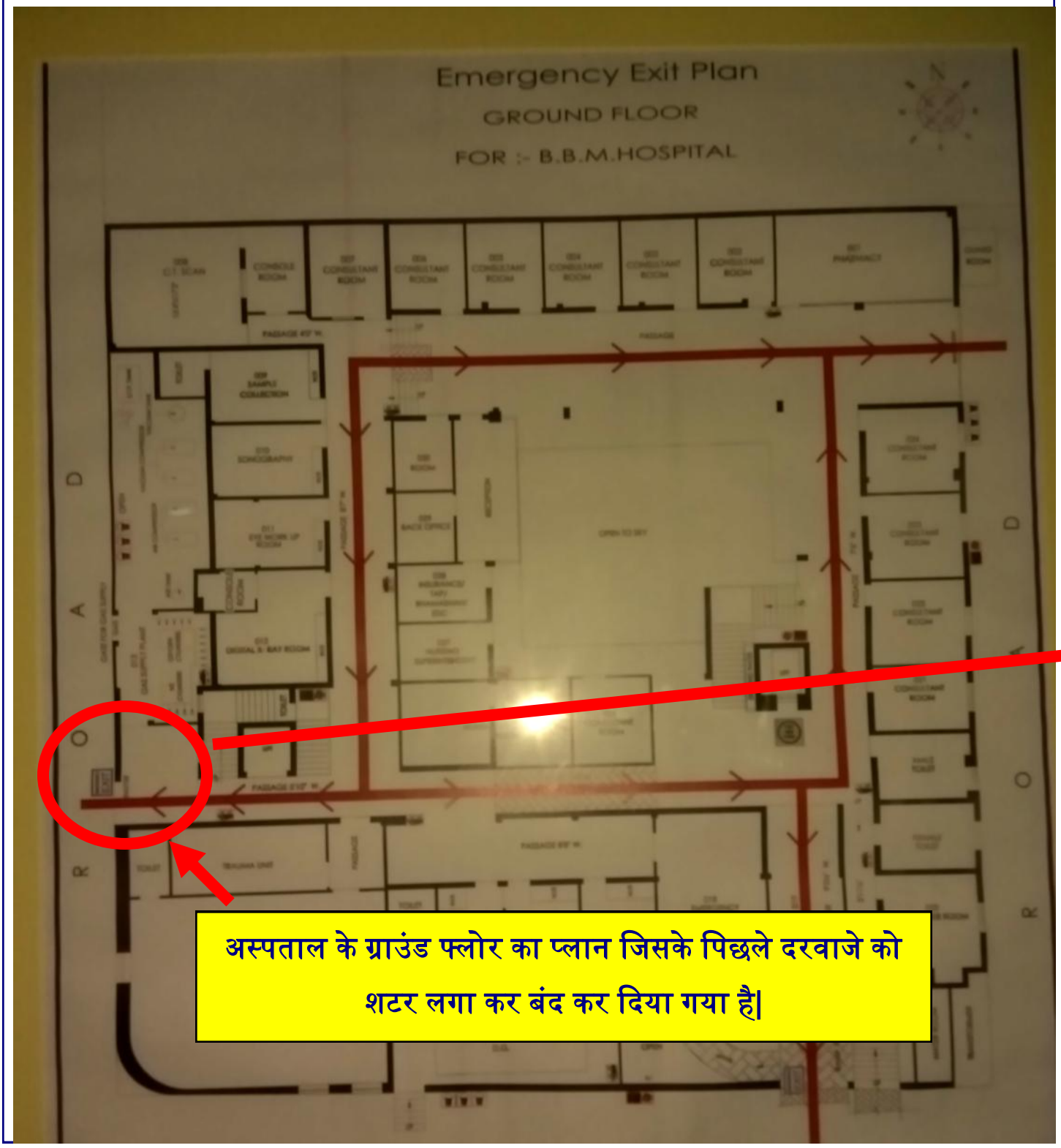

अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का प्लान जिसके पिछले दरवाजे को शटर लगा कर बंद कर दिया गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर के पिछले दरवाजे की फोटो,जिसको शटर लगा कर बंद कर दिया गया है|आपदा के समय किसके पास इसकी चाबी होगी?क्या यह शटर आपदा के समय खुल पायेगा ?क्या गारंटी है कि भगदड़ में इसे खोल पाना संभव हो या नहीं?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर का प्लान जिसके बाएं गलियारे के दोनों तरफ के सीरो को ओपरेशन कक्ष ,वेटिंग रूम बना कर बंद कर दिया गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के बाएं गलियारे के दोनों तरफ के सीरो पर बने ओपरेशन कक्षों और वेटिंगरूम की फोटो,जिसके कारण यह गलियारा बंद हो गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

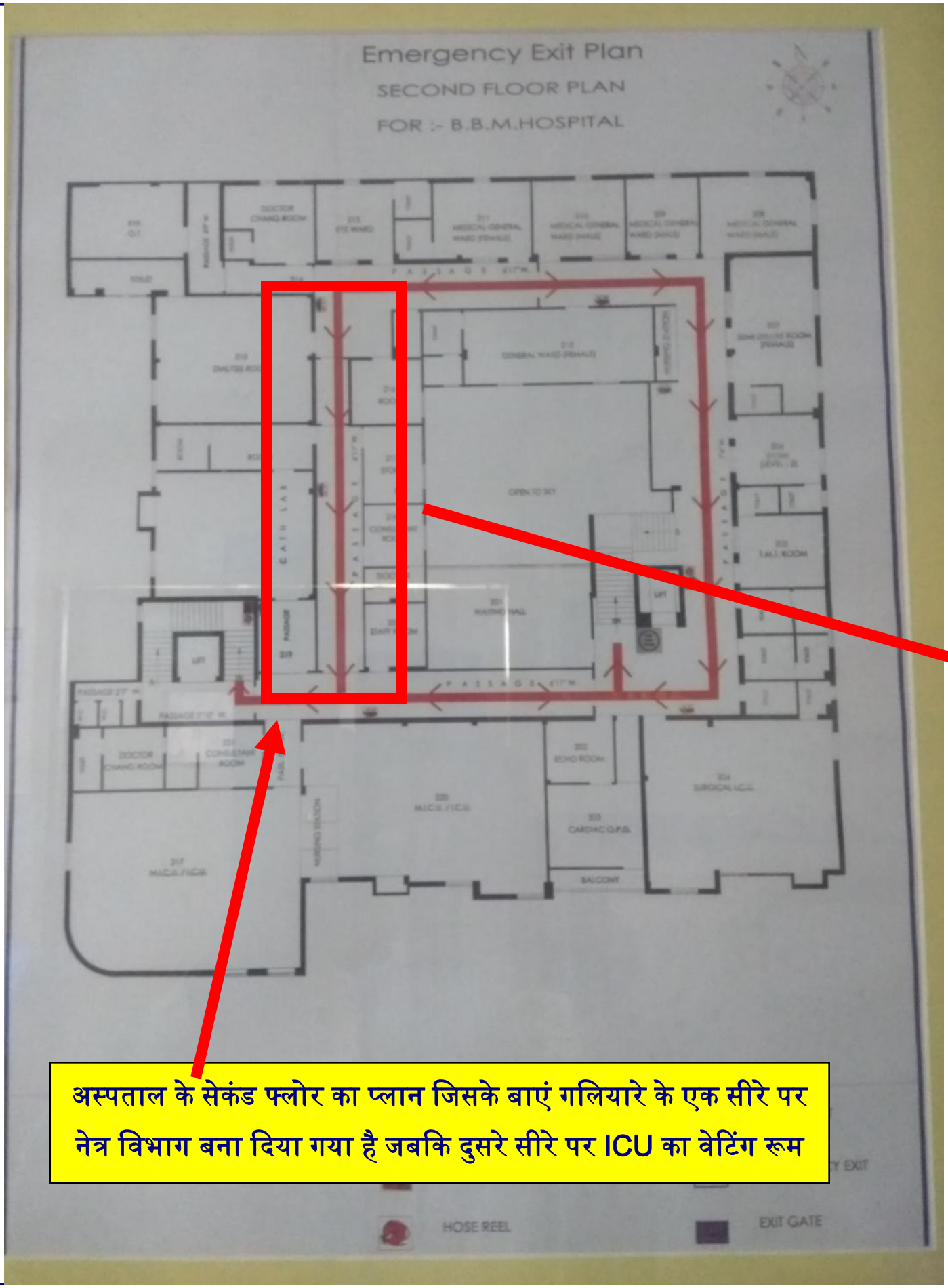

अस्पताल के सेकंड फ्लोर का प्लान जिसके बाएं गलियारे के एक सीरे पर नेत्र विभाग बना दिया गया है जबकि दुसरे सीरे पर ICU का वेटिंग रूम

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

अस्पताल के सेकण्ड फ्लोर के बाएं गलियारे के दोनों तरफ के सीरो पर बने अवरोधों की फोटो,जिसके कारण यह गलियारा बंद हो गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

नहीं चले थे अग्निशमन यंत्र

स्थानीय समाचारों के अनुसार भीषण अग्निकांड के समय बांगड़ अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्र दिखावटी और नाकारा साबित हुए,जिसके चलते वहां उपस्थित मरीजों,उनके परिजनों और स्टाफ की जान आफत में आ गयी|

जीरो सेटबैक पर बना हुआ है यह अस्पताल

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस अस्पताल का निर्माण जीरो सेटबैक पर किया गया है|अब सवाल यह है कि क्या इस अस्पताल के नक़्शे पास है और जीरों सेटबैक पर बनी इस चार मंजिला अस्पताल को भवन निर्माण की अनुमति किस अधिकारी ने दी?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या नगरपरिषद/UIT द्वारा इस अस्पताल की जमीन रियायती दर पर दी गयी है?

2. क्या बांगड़ अस्पताल नगरपरिषद/UIT की सक्षम स्वीकृति से बनाया गया है|

3. क्या बांगड़ अस्पताल की पांच मंजिला बिल्डिंग के नक़्शे पास है?क्या इस अस्पताल द्वारा किसी प्रकार का अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं किया गया है?

4. किस अधिकारी द्वारा इस बिल्डिंग के जीरो सेटबैक के नक़्शे पास किये गए है?क्या भवन विनियमों के अनुसार जीरो सेटबैक पर पांच मंजिला बिल्डिंग स्वीकृत है?

5. क्या इस अस्पताल परिसर स्टाफ/आगंतुकों के वाहनों के पार्किंग हेतु यातायात सुविधा स्वीकृत की गयी है,या फिर अवैध रूप से खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग की जा रही है?

6. क्या इस अस्पताल की फायर NOC सक्षम स्तर द्वारा जारी की गयी है?

7. क्या जिला प्रशासन द्वारा इस अस्पताल में गत वर्ष हुए अग्निकांड की जांच करवाई गयी थी?

8. जाँच के क्या परिणाम रहे?क्या जांच में अस्पताल प्रशासन दोषी पाया गया था?यदि दोषी पाया गया था तो जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

9. क्या अस्पताल और जिला प्रशासन द्वारा इस अस्पताल की वार्षिक फायर ओडिट करवाई जाती है?

10. क्या इस अस्पताल में स्थापित सभी फायर उपकरण सुचारू रूप से संचालित है?

11. क्या यह मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन इस बिल्डिंग के विभिन्न तलों के गलियारों से अतिक्रमण हटवाएगा?

12. यदि भविष्य में अस्पताल की दादागिरी और जिला प्रशासन की लापरवाही से कोई हादसा हो जाता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

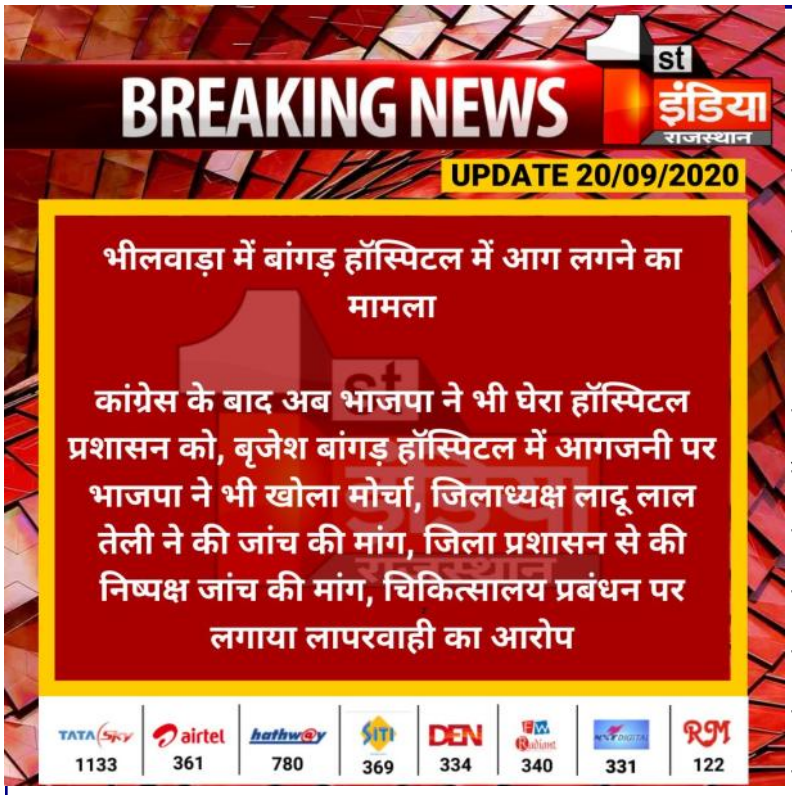

राजनैतिक बयांबाजियों के बाद मामला शांत

जैसा की होता आया है इस मामले में भी राजनैतिक पार्टियों ने बयान बाजी की और कुछ समय बाद यह मामला शांत हो गया |लेकिन क्या यह सही है कि बांगड़ अस्पताल की दादागिरी और भीलवाडा जिला प्रशासन की ढीलम ढाली का दुष्परिणाम मासूम और निरीह लोगो को उठाना पड़े|क्या प्रशासन आमजन के हित में इस अस्पताल के गलियारे खाली नहीं करवा सकता|यदि भविष्य में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा|आम जन को चाहिए कि अस्पताल की इस दादागिरी के विरुद्ध आवाज उठाये और प्रशासन को कार्यवाही करने पर मजबूर कर देवे आखिर यह आम जन के जानोमाल का सवाल है |

जिम्मेदार अधिकारी

क्रमांक	जिम्मेदारी	विभाग	जिम्मेदार अधिकारी
1.	आपदा प्रबंधन	जिला कलेक्टर कार्यालय	जिला कलेक्टर/ADM/SDM
2.	भवन निर्माण स्वीकृति/नक्शे अनुमोदित करना	UIT/नगर परिषद्	सचिव/आयुक्त
3.	फायर NOC	नगर परिषद्	मुख्य अग्निशमन अधिकारी
4.	कानून व्यवस्था /अवैध पार्किंग	जिला पुलिस अधीक्षक	थानाधिकारी/यातायात पुलिस अधिकारी

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com